न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 380 / 2017

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. सावतसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
3. भोपालसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर।
2. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री सन्तलाल तिवाड़ी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 4/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खसरा न0 28 में 9 बिघा भूमि कब्जा काश्त की भूमि है जो सदामत से वादीगण के कब्जे में चली आ रही है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है।

सन 2006 में साहवा लिफ्ट कनाल से धानसिया तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया और यह सड़क वादीगण के खेत खसरा न0 28 से करीब दो खेत दूरी पर बनायी गयी है किन्तु सहवन से यह सड़क वादीगण के खेत में दिखाकर वादीगण की 7 बिस्वा भूमि कम कर सड़क के नाम दर्ज करवा गैर मुमकिन दर्ज कर दी। जबकि वादीगण की वादग्रस्त भूमि में सड़क का निर्माण नही किया गया है। वादीगण अपनी पुरी भूमि काश्त करता है तथा वादीगण की 7 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज कर दी गयी है। साहवा लिफ्ट से धानसिया तक सड़क वादीगण की वादग्रस्त भूमि से नही निकाली गयी है। सड़क वादग्रस्त भूमि से काफी दूरी पर है और नही वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का कोई क्लैम विभाग से प्राप्त किया है। खसरा न0 28/1 की तादारी 2.18880 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम दर्ज है। किन्त इस भूमि मे से खसरा न0 28/2 की 0.0880 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम से हटाकर साहवा लिफ्ट से धानसिया सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नोहर के नाम दर्ज कर दी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जो की वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर के नाम दर्ज है में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया की ख0न0 29 में से साहवा लिफ्ट से धानसिया तक सड़क का निर्माण नही किया गया है ख0न0 28 में कोई सड़क नही निकाली गयी है। वादीगण अपनी 7 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा मुताबिक इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खसरा न0 28 में 9 बिघा भूमि कब्जा काश्त की भूमि है जो सदामत से वादीगण के कब्जे में चली आ रही है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है। सन 2006 में साहवा लिफ्ट कनाल से धानसिया तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया और यह सड़क वादीगण के खेत खसरा न0 28 से करीब दो खेत दूरी पर बनायी गयी है किन्तु सहवन से यह सड़क वादीगण के खेत में दिखाकर वादीगण की 7 बिस्वा भूमि कम कर सड़क के नाम दर्ज करवा गैर मुमकिन दर्ज कर दी। जबकि वादीगण की वादग्रस्त भूमि में सड़क का निर्माण नही किया गया है। वादीगण अपनी पुरी भूमि काश्त करता है तथा वादीगण की 7 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज कर दी गयी है। साहवा लिफ्ट से धानसिया तक सड़क वादीगण की वादग्रस्त भूमि से नही निकाली गयी है। सड़क वादग्रस्त भूमि से काफी दूरी पर है और नही वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का कोई क्लैम विभाग से प्राप्त किया है। खसरा न0 28/1 की तादारी 2.18880 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम दर्ज है। किन्त इस भूमि मे से खसरा न0 28/2 की 0.0880 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम से हटाकर साहवा लिफ्ट से धानसिया सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नोहर के नाम दर्ज कर दी है। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम उक्त वाद भूमि से कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 434/370 की कुल 12.8270 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 184/147 की कुल 5.5910 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 433/371 की कुल 10.4110 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 48/44 की कुल 2.9090 हैक्ट भूमि में से 808/14545 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 7 पी0पी0एम0 तहसील नोहर के खाता संख्या 27/23 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1/18 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा चक 7 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 43/48 की कुल 5.3900 हैक्ट भूमि में से 169/53900 हिस्सा भूमि रामस्वरूप पुत्र तारूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र तारूराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा रामस्वरूप पुत्र तारूराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खसरा न0 28/2 की कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै0मु0 साहवा लिफ्ट से धानसिया सड़क सा0नि0वि0वृत गंगानगर का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 4/1/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 380/2017

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. सावतसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
3. भोपालसिंह पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर।
2. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 380 सन 2017 निर्णय दिनांक 4/1/2024

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री संतलाल तिवाड़ी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खसरा न0 28/2 की कुल 0.0880 हैक्ट भूमि गै0मु0 साहवा लिफ्ट से धानसिया सड़क सा0नि0वि0वृत गंगानगर का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:31 IST
Reason: SelfAttested